

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seacog@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 26/06/2023 को संपन्न 471वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 2. श्री एन.के. चन्दाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 3. श्री किशन सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 4. डॉ. मनोज कुमार चौपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 5. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेन्डा आयटम क्रमांक-1: 468वीं, 469वीं एवं 470वीं बैठक क्रमशः दिनांक 12/06/2023, 13/06/2023 एवं 14/06/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 468वीं, 469वीं एवं 470वीं बैठक क्रमशः दिनांक 12/06/2023, 13/06/2023 एवं 14/06/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-2: गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण तुरंत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स महावीर स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री रमेश कुमार पटेल), ग्राम-धनसूली, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2182)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर- एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 405493/ 2022, दिनांक 05/11/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 22/11/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 19/01/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।



प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गीण खनिज) खदान है।
ग्राम-धनसूली, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 912 एवं 913,
कुल क्षेत्रफल-1.214 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-40,960 टन
प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक
16/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र
दिनांक 20/03/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से
समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः
आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को
पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित
प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक
23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र
दिनांक 26/06/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से
समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः
आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना
प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी /
दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स मंदिर हसीद लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्रीमती संगीता अग्रवाल), ग्राम-मंदिर
हसीद, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2259)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/
409648/ 2022, दिनांक 06/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक
16/01/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना
प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/01/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की
गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गीण खनिज) खदान है।
खदान ग्राम-मंदिर हसीद, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक
654/1, 654/2 एवं 657/14(घाट), कुल क्षेत्रफल-1.676 हेक्टेयर में है। खदान की
आवेदित उत्खनन क्षमता-13,210 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/03/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 26/06/2023 द्वारा जानकारी अपूर्ण होने के कारण आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स मीं गुरु भिनरल्ल (किरारी लाईन स्टोन माईन्, पार्टनर- श्री हेमंत कुमार सिंह), ग्राम-किरारी, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2280)

ऑनसाईन आवेदन - प्रमोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 415192/ 2023, दिनांक 20/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित घूना पत्थर (गोण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-किरारी, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा स्थित खसरा क्रमांक 729/2, 729/3 एवं 729/6, कुल क्षेत्रफल-1.643 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-50,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/03/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण

समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भुनेश्वर सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत किरारी का दिनांक 11/05/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - न्यू क्वारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी बलोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 3310/खनिज/स.वा.अ./2022-23 कोरबा, दिनांक 21/12/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्र. 185/गौण खनिज/न.क्र./2022-23 जांजगीर, दिनांक 17/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 74 खदानें, क्षेत्रफल 120.517 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्र. 184/गौण खनिज/न.क्र./2022-23 जांजगीर, दिनांक 17/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. मेसर्स श्री गुरु मिनरल्स (पार्टनर-श्री हेमंत कुमार सिंह) के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्र. 2793/गौण खनिज/न.क्र./2022-23 जांजगीर, दिनांक 31/10/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि मेसर्स श्री गोपाल इंटर प्राईजेस किरारी (पार्टनर-श्री सुमन कुमार) के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, जिला-जांजगीर-घांसा के आपन क्रमांक/तक.अधि./4949 घांसा दिनांक 04/08/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 10.3 कि.मी. दूर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-किरारी 950 मीटर एवं स्कूल ग्राम-किरारी 950 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.1 कि.मी. दूर है। बरसाती नाला 20 मीटर, नहर 375 मीटर एवं तालाब 900 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व 8,01,500 टन, माईनेबल रिजर्व 4,44,555 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 4,35,663 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,813 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8.71 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्टास्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	50,000
द्वितीय	50,000
तृतीय	50,000
चतुर्थ	50,000
पंचम	50,000

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्रोत एवं रक्षाम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 261 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कम से कम 800 नग वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव (DPR) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी क्षेत्रफल 3,813 वर्गमीटर है, जिसमें से 953 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित

क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जीव उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उत्खनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तों जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (c) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एपिलिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्र. 185/गौण खनिज/न.क्र./2022-23 जांजगीर, दिनांक 17/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 74 खदानें, क्षेत्रफल 120.517 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-किरासी) का रकबा 1.643 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-किरासी) को मिलाकर कुल रकबा 122.16 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अर्केड उत्खनन पाये जाने पर जीव उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण



संख्यान मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायर्समेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
 - iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - v. Project proponent shall submit the partnership deed.
 - vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
 - vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies. Nearby water tanks, rivers & nalla shall be protected.
 - viii. Project proponent shall submit the conservation plan of small nalla which is very near to the mine lease area.
 - ix. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
 - x. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - xi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - xii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
 - xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
 - xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

- xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xvii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xix. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स घनश्याम देवांगन (भाठागांव साईल/ऑर्डिनरी ब्ले क्वारी), ग्राम-भाठागांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2103)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 275252/2022, दिनांक 09/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स थिमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-भाठागांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 117 एवं 120, कुल क्षेत्रफल - 1.032 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री घनश्याम देवांगन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित लीज क्षेत्र में केवल मिट्टी

उत्खनन का कार्य किया जाएगा एवं विमनी स्थापित नहीं की जाएगी। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष फॉर्म में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एस. जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को फॉर्म में त्रुटि सुधार करने एवं विमनी को हटाते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान ऑनलाईन में प्रस्तुत करने हेतु ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात् वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 04/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा फॉर्म में त्रुटि सुधार कर एवं प्रस्तावित लीज क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य किये जाने बावत् (विमनी को हटाते) हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धनश्याम देवांगन, प्रोपरराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भाठागांव का दिनांक 06/08/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना — क्वारी प्लान (एलांग विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक, जिला-दुर्ग के आपन क्र. 1577/खनि.अनु-01/2022 दुर्ग, दिनांक 13/01/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के आपन क्रमांक 2007/ख.लि. 02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 22/11/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ— कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के आपन क्रमांक 2007/ख.लि. 02/2021

राजनांदगांव, दिनांक 22/11/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. श्री घनश्याम देवांगन के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के आपन क्रमांक 1708/ख.लि. 02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 12/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल. ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत संचालनालय भूमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के आपन क्र. 5646/खनि 02/उ.प.-अनु निधा./न.क्र. 50/2017(2) नवा रायपुर, दिनांक 28/10/2022 के अनुसार "छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 28/06/2020 (प्रकाशन दिनांक 30/06/2020) के नियम 42 के उप-नियम (5) परन्तु के तहत संचालक को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं तत्पश्चात् उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया जाता है।" होना बताया गया है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि श्री मिथलेश्वर दास के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमंडल अधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल, जिला-राजनांदगांव के आपन क्र./मा.चि./न.क्र. 10-1/7386 राजनांदगांव, दिनांक 10/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 6 कि.मी. दूर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-भाठागांव 100 मीटर, स्कूल ग्राम-भाठागांव 150 मीटर एवं अस्पताल सोमनी 6.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4 कि.मी. दूर है। तालाब 110 मीटर एवं शिवनाथ नदी 800 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व 20,640 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 14,658 घनमीटर एवं रिक्वैरेबल रिजर्व 13,192 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 668 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 14 वर्ष है। एक लाख ईट निर्माण हेतु 10 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण

नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,000
द्वितीय	1,000
तृतीय	1,000
चतुर्थ	1,000
पंचम	1,000

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 150 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 150 नग पौधों के लिए राशि 9,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 15,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 68,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,61,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. नैर माईनिंग क्षेत्र - स्टीक यार्ड, रैस्ट सेक्टर एवं स्वाइल प्रोसेसिंग हेतु कुल 2,000 वर्गमीटर क्षेत्र को नैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख क्वारी प्लान में किया गया है।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at nearby, Village-Bhathagaon	
			Pavitra Van	2.566
			Nirman	
			Total	2.566

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (नीम, आम, जागुन, कटहल, कदम, करंज आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 30,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 20,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 94,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,62,100 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत भाठागांव के सहमति उपरांत स्यायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 599, क्षेत्रफल 3.753 हेक्टेयर में से 0.25 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. ग्राम-भाडामावा, तहसील व जिला-राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 714/2 रकबा 0.028 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 714/5 रकबा 0.11 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 714/6 रकबा 0.291 हेक्टेयर अर्थात् कुल रकबा 0.429 हेक्टेयर भूमि श्री केशोराम देवांगन के नाम पर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त भूमि में ईंट निर्माण हेतु विमनी प्रस्तावित किये जाने बाबत् श्री केशोराम देवांगन से किये गये सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उक्त भूमि से आबादी क्षेत्र और फलों के बागों से न्यूनतम दूरी तथा उक्त भूमि से अन्य ईंट भट्टों की न्यूनतम दूरी के संबंध में जानकारी को.एम.एल. सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आशय पत्र में उल्लेखित क्षेत्र हेतु नवीन उत्खनन योजना प्रस्तुत किया गया है, जो केवल मिट्टी उत्खनन हेतु प्रस्तावित है तथा लीज अनुबंध के 6 माह के भीतर समिति के निर्देशों का पालन करते हुए बस्ती एवं बाग बगीचों से न्यूनतम 800 मीटर दूरी पर विमनी स्थापित करने तथा उस क्षेत्र के पृथक से नियमानुसार शासकीय कार्यालय से अनापत्ति प्राप्त करने पश्चात् ही उत्पादन प्रारंभ किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सड़क की ओर 1 मीटर क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. आवेदित लीज क्षेत्र के भीतर अवस्थित वृक्षों की कटाई (यदि आवश्यक हुआ तो) सक्षम अधिकारी के अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. पर्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल स्रोत, तालाब, पोखर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने हेतु प्रस्ताव लीज अनुबंध के 1 माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त शासकीय भूमि में सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का कम से कम 5 वर्षों तक देख रेख किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों एवं निकटस्थ आबादी क्षेत्र के निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
29. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
30. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के आपन क्रमांक 2007/ख.लि. 02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 22/11/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-भाठागांव) का रकबा 1.032 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
- ग्राम-भाठागांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 714/2 रकबा 0.028 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 714/5 रकबा 0.11 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 714/6 रकबा 0.291 हेक्टेयर अर्थात् कुल रकबा 0.429 हेक्टेयर भूमि से आवादी क्षेत्र और फलों के बागों से न्यूनतम दूरी तथा अन्य ईट मट्टों की न्यूनतम दूरी के संबंध में के.एम.एल. सहित जानकारी एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स घनश्याम देवांगन (भाठागांव सोईल/ऑर्डिनरी ब्ले क्वारी) को ग्राम-भाठागांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 117 एवं 120 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गोण खनिज) खदान (बिना विमनी मट्टा के), कुल क्षेत्रफल-1.032 हेक्टेयर, क्षमता-1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स अकोलडीह खपरी लाईन स्टोन क्वारी माईन (प्रो.-श्री कमलेश भवनानी), ग्राम-अकोलडीह खपरी, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2299)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 416817 / 2023, दिनांक 03/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित घूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-अकोलडीह खपरी, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 118, 119, 120, 121, 122, 125/1, 127/2, 128/2, 133, 134, 135, 136, 137, 146 एवं 147/1, कुल क्षेत्रफल-4 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,00,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 455वीं बैठक दिनांक 21/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 21/03/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के सम्मक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रवि कुकरेजा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्व में घूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 118, 119, 120, 121, 122, 125/1, 127/2, 128/2, 133, 134, 135, 136, 137, 146 एवं 147/1, कुल क्षेत्रफल-4 हेक्टेयर, क्षमता-1,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-रायपुर द्वारा दिनांक 26/02/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 26/02/2023 तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 25/02/2024 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 - iii. निर्धारित शर्तानुसार नुसारोपन नहीं किया गया है।
 - iv. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान में पूर्व में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर में दिनांक 16/03/2023 को पत्र प्रेषित किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत घनसुली का दिनांक 24/11/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
 3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (खनि.प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन-6/ई-निविदा/2017/1037 रायपुर, दिनांक 17/11/2017 द्वारा अनुमोदित है।
 4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 182/ख.लि./2023 रायपुर, दिनांक 24/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 179.508 हेक्टेयर है।
 5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 3008/कौपा/उ.प./चुना पत्थ./2022-23 रायपुर, दिनांक 12/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
 6. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 118, 119, 120, 121, 122, 125/1, 127/2, 128/2, 147/1 श्री कमलेश भवनानी एवं खसरा क्रमांक 133, 134, 135, 136, 137, 146 श्रीमती शिशिका भवनानी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू-स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि फाइनल ई.आई.ए.

रिपोर्ट के साथ भूमि संबंधी दस्तावेज (डी-1, पी-2) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. लीज का विवरण - लीज श्री कमलेश भवनानी के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 24/03/2018 से 23/03/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी की जानकारी हेतु कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, जिला-रायपुर में दिनांक 06/02/2023 को आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। समिति का मत है कि आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-अकोलडीह खपरी 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-अकोलडीह खपरी 1 कि.मी. एवं अस्पताल रायपुर 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8.20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.60 कि.मी. दूर हैं। तालाब 100 मीटर, नाला 490 मीटर, नहर 3.4 कि.मी. एवं रेहर नदी 18.3 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉइन्टुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व 24,50,000 टन, माईनेबल रिजर्व 10,81,074 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 9,72,966 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 9,544.57 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 15,227.72 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,00,000	षष्ठम	1,00,000
द्वितीय	1,00,000	सप्तम	1,00,000
तृतीय	1,00,001	अष्टम	1,00,000
चतुर्थ	1,00,001	नवम	1,00,000
पंचम	1,00,000	दशम	72,962.9

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति स्रोत एवं सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर दरतावेज/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1.146 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदक मेसर्स घनसूली लाईम स्टोन बवारी, प्रो. श्रीमती सतिंदर कौर अरोरा द्वारा बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिसम्बर, 2022 से फरवरी, 2023 के मध्य किया गया था। तत्समय दिनांक 06/12/2022 को बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। अतः आवेदित खदान उस बलस्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. स्टडी पूर्व में की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिससे समिति सहमत हुई।
17. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 182/ख.लि. /2023 रायपुर, दिनांक 24/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 179.508 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-अकोलडीह) का रकबा 4 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-अकोलडीह) को मिलाकर कुल रकबा 183.508 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए.

82

/ई.एन.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायसमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- v. Project proponent shall submit the previous year production detail to till date from the mining department.
- vi. Project proponent shall submit the NOC from (DFO) forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
- vii. Project proponent shall submit the land (B-1, P-2) document.
- viii. Project proponent shall submit the details of water requirement along with its source and shall also submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.
- ix. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- x. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- xi. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued

from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

- xviii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स क़शर स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री देव कुमार पटेल), ग्राम-हस्तिनापुर, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2318)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 411968/ 2023, दिनांक 26/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संयोजित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम-हस्तिनापुर, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 199, कुल क्षेत्रफल-1.07 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-20,416 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री देव कुमार पटेल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 199, कुल क्षेत्रफल-1.07 हेक्टेयर, क्षमता-20,416 टन (7,852 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला

संघीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कोरिया द्वारा दिनांक 20/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 19/03/2022 तक वैध थी।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 19/03/2023 तक वैध थी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार 220 नग वृक्षांशेपण किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-एमसीबी के आपन क्रमांक 64/खनिज/उ.प./2022 एमसीबी, दिनांक 13/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018	293
2019	2,944
2020	1,130
2021	1,656
दिसम्बर 2022 तक	110

समिति का मत है कि दिसम्बर 2022 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत पिपरिया का दिनांक 07/07/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्हायरीमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-सूरजपुर के आपन क्रमांक 3195/खनिज/2016 सूरजपुर, दिनांक 28/11/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 63/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी. दिनांक 13/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 10.85 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 63/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी. दिनांक 13/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण - यह शासकीय भूमि है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज श्री देव कुमार पटेल के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 07/04/2017 से 06/04/2047 तक की अवधि हेतु वैध है। समिति का मत है कि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ लीज डीड की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/माचि./2014/1886 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 17/10/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 3 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-हस्तिनापुर 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-हस्तिनापुर 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 2.5 कि.मी. दूर है। सोनहारी वन क्षेत्र 5 कि.मी. एवं हसदेव वनक्षेत्र 4.5 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व 3,65,589 टन, माईनेबल रिजर्व 2,53,635 टन एवं रिक्वहरेबल रिजर्व 2,28,271 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,523 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर एवं हिल सॉक की औसत ऊँचाई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.3 मीटर है। बेंच की ऊँचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 2,593 वर्गमीटर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	13,185.90	षष्ठम	17,160.00

द्वितीय	16,904.16	सप्तम	18,283.20
तृतीय	18,223.92	अष्टम	17,335.50
चतुर्थ	19,273.80	नवम	17,181.80
पंचम	19,546.80	दशम	20,416.50

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति स्रोत एवं सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में तीन पंक्तियों में 1,050 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विस्फुट भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एडिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 63/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 13/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 10.65 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-हस्तिनापुर) का रकबा 1.07 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-हस्तिनापुर) को मिलाकर कुल रकबा 11.72 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एन.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई—

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iv. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- v. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- vii. Project proponent shall submit the copy of lease deed.
- viii. Project proponent shall submit the previous year production detail from 01/01/2023 to till date from the mining department.
- ix. Project proponent shall submit the details of water requirement along with its source and shall also submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.
- x. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- xi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- xii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xvi. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of

minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

- xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स खम्हारडीह लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री पवन कुमार अग्रवाल), ग्राम-खम्हारडीह, तहसील-फधरिया, जिला-मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2321)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 420135/ 2023, दिनांक 27/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम-खम्हारडीह, तहसील-फधरिया, जिला-मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 192/5, 195/4, 197/1, 198/1, 198/2, 199/1, 199/2, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2 एवं 202, कुल क्षेत्रफल-1.356 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-16,400 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विष्णु अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- i. पूर्व में चुना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 192/5, 195/4, 197/1, 198/1, 198/2, 199/1, 199/2, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2 एवं 202, कुल क्षेत्रफल—3.35 हेक्टेयर, क्षमता—16,400 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला—मुंगेली द्वारा दिनांक 01/09/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 31/08/2022 तक वैध थी।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार—

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 31/08/2023 तक वैध होगी।

- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 23/खनिज-2 उ.प./2023 मुंगेली, दिनांक 18/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (टन)
01/09/2017 से 31/03/2018	4,500
01/04/2018 से 31/03/2019	11,200
01/04/2019 से 31/03/2020	15,960
01/04/2020 से 31/03/2021	14,000
01/04/2021 से 31/03/2022	16,350
01/04/2022 से 31/03/2023	16,365

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2023 से किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अधोली का दिनांक 10/12/2004 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – खवारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एल्टींग एण्ड खवारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिज प्रशासन), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1897/खलि/तीन-1/2015 बलीदाबाजार, दिनांक 18/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 997/खलि-02/2022 मुंगेली, दिनांक 26/12/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 8.829 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 996/खलि-02/2022 मुंगेली, दिनांक 26/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाइन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री पवन कुमार अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/05/2007 से 30/04/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/05/2017 से 30/04/2037 की अवधि हेतु विस्तारित की गई।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./3421, दिनांक 17/05/2002 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-खम्हारडीह 620 मीटर, स्कूल ग्राम-खम्हारडीह 870 मीटर एवं अस्पताल बिल्हा 9.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 21.50 कि.मी. दूर है। महानदी 700 मीटर, तालाब 480 मीटर, नहर 220 मीटर एवं नाला 155 मीटर दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,72,900 टन, माईनेबल रिजर्व 1,81,880 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,83,892 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 2,85,816 टन, माईनेबल रिजर्व 94,797 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 85,317 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,361.18 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकानाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेध की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क़शर स्थापित नहीं है एवं इसकी

स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्यास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	16,365.9	षष्ठम	16,366.5
द्वितीय	16,365.9	सप्तम	16,366.3
तृतीय	16,365.9	अष्टम	16,365.9
चतुर्थ	16,365.8	नवम	16,365.0
पंचम	16,365.9	दशम	16,399.5

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरेवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत सेन्द्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि नियमानुसार 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 864 नग वृक्षारोपण किया जाना है, परन्तु 7.5 मीटर की पूर्ण सीमा पट्टी 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई स्वयं की भूमि पर 3 पवितियों में 602 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही सेप 262 नग वृक्षारोपण को सी.ई.आर. में शामिल करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी 4,361.18 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध जांच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (1) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/03/2023 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 27/02/2023 को सूचना दी गई थी।
17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल सेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ड्राफ्ट कर्मांक 997/खनि-02/2022 मुंगेली, दिनांक 26/12/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानों, क्षेत्रफल 6.829 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-खम्हारडीह) का रकबा 1.356 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-खम्हारडीह) को मिलाकर कुल रकबा 8.185 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंडावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अल्प उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अप्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुज्ञप्ति की गई—
 - i. Project proponent shall submit the individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - iii. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2023 to till date from the mining department.

- iv. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies. The project proponent shall conserve the nearby water bodies.
- viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xiii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report. Project proponent shall undertake plantation of 262 plants outside of the lease area.
- xiv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details along with photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री सिद्धेश्वर प्रकाश अग्रवाल), ग्राम-पतौरपाली, तहसील-बसना, जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2322)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 420189/2023, दिनांक 28/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गीण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-पतौरपाली, तहसील-बसना, जिला-महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 107, कुल क्षेत्रफल-1.30 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-10.528 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 26/06/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स बघिमा लाईम स्टोन माईन (प्रो- श्री अभिवेक गौयल), ग्राम-बघिमा, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1447) ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 57842/ 2020, दिनांक 28/10/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/420879/2023, दिनांक 04/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बघिमा, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 849/12, 849/54, 849/43, 849/33, 849/39, 849/34, 849/35, 849/48, 849/41 एवं 849/32, कुल क्षेत्रफल-2.196 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-64,837.5 टन (25,935 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिकॉरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिकवायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 460वीं बैठक दिनांक 27/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मुकेश अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स अल्ट्रा-टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स कंसल्टेंसी एण्ड लैबोरेटरी, धाने (पश्चिम) की ओर से डॉ. देव नारायण उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बधिमा का दिनांक 09/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.) जिला-सरगुजा के पृ. ज्ञापन क्र. 1574/खनिज/खनि.3/उत्खनन यो./2020 अम्बिकापुर, दिनांक 20/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 933/खनिज/उत्खनि./2020 बलरामपुर, दिनांक 27/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 6.672 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 932/खनिज/उत्खनि./2020 बलरामपुर, दिनांक 27/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. श्री अभिवेक गोयल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 671/गौण खनिज/उत्खनन पट्टा/2020 बलरामपुर, दिनांक 01/10/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् संचालक, भूमिकी तथा खनिकर्म के ज्ञापन क्रमांक 5668/खनि 02/उ.प.-अनु.निष्ठा./न.क्र.50/2017(4) नवा रायपुर, दिनांक 02/11/2021 द्वारा एल.ओ.आई. में वैधता वृद्धि बाबत पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 29/09/2022) हेतु वैध थी।

तदीपरांत एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत न्यायालय संचालक, भूमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 02/2023 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 09/08/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, यह निर्दिष्ट किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परंतु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।

7. मू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 849/12 श्री मनराज, श्री मनराज, श्री चरण, श्रीमति फूलमेत, श्री अमरसाय, खसरा नं 849/48, 54, श्री मुकेश कुमार अग्रवाल, खसरा क्रमांक 849/43 श्री रामसाय, खसरा क्रमांक 849/33, 41 श्रीमति फूलवासी, खसरा क्रमांक 849/39 श्री सोमारू, श्री राजकुमार, श्रीमति सुबासी, खसरा क्रमांक 849/34 श्री राजकुमार, श्रीमति फूलवासी, खसरा क्रमांक 849/35 श्री महेन्द्र पैकरा, खसरा क्रमांक 849/32 सुश्री संगली एवं सुश्री मंगली के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, जिला-बलरामपुर के आपन क्रमांक/मा.धि./2018/4473 बलरामपुर, दिनांक 31/07/2018 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार "आवेदित भूमि सीमावर्त वन क्षेत्र नहीं छोटे झाड़ के जंगल मद अंतर्गत नहीं आता है तथा आवेदित वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू नहीं होगा" का उल्लेख है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत टोपोग्रीट क्रमांक 64 एम/7,8,3,4 के आधार पर आवेदित भूमि से उत्तर-पूर्व की ओर लगभग 300 मीटर पर बेन्दोगढ़ रिसर्व फारेस्ट एवं दक्षिण-पूर्व की ओर लगभग 600 मीटर पर बांसबोरा रिसर्व फारेस्ट दर्शित होती है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-बधीमा 400 मीटर, स्कूल ग्राम-बधीमा 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल राजपुर 10.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.1 कि.मी. मीटर दूर है। बांध 9.7 कि.मी., नाला 3.6 कि.मी., गागर नदी 1.6 कि.मी. एवं तालाब 950 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जिबोलॉजिकल रिजर्व 12,90,150 टन, माईनेबल रिजर्व 6,61,887 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 6,28,793 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,670 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर एवं मात्र 25,935 घनमीटर है, जिसमें से 1,637 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष 24,298 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 734/1, 750, 754/1, 754/2 एवं 754/3, भू-स्वामी-मुकेश कुमार अग्रवाल, रकबा-1,868 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बैंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल प्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	61,595.63	षष्ठम	62,985.00
द्वितीय	62,094.38	सप्तम	64,837.50
तृतीय	62,700.00	अष्टम	62,201.25
चतुर्थ	62,486.25	नवम	64,231.88
पंचम	62,058.75	दशम	63,602.50

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरेवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,078 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
खदान के बाउण्ड्री में (1,078 नग) वृक्षारोपण हेतु राशि	59,250	5,350	5,350	5,350	5,350
फेंसिंग हेतु राशि	1,07,425	-	-	-	-
खाद हेतु राशि	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900
सिंचाई हेतु राशि	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
रख-रखाव हेतु राशि	1,09,500	1,09,500	1,09,500	1,09,500	1,09,500
कुल राशि = 14,55,075	4,20,075	2,58,750	2,58,750	2,58,750	2,58,750

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,670 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 803 वर्गमीटर क्षेत्र 1.5 मीटर की गहराई तक पूर्व से उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है।
16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-**

- i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसम्बर 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 5 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सान्द्रण लेवल:-**

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	19	55	60
PM ₁₀	49	99	100
SO ₂	5	30	80
NO ₂	10	38	80

- iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:-** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।
- iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:-**

Noise level - dB (A)

Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	49.9	51.9	75
Night L_{eq}	41.9	45.9	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. जी.एल.सी. की गणना:-

S No.	Parameters	Baseline at project site ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Predicted GLC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Total GLC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1	PM_{10}	99	0.135	99.135
2	$\text{PM}_{2.5}$	55	0.087	55.087
3	SO_2	30	2.95	32.95
4	NO_x	38	0.66	38.66

vi. पी.सी.यू. की गणना:- भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हेवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रेफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 59.07 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.039 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 23 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्परचात् कुल 82.07 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.055 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ-मटेरियल / ग्रीडरूट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent) के भीतर है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 02/08/2022, पूर्वाह्न 11:00 बजे, स्थान - ग्राम पंचायत भवन, ग्राम-बघिना, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-समानुजगंज में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 13/10/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- ऊपरी मिट्टी एवं ओकर बर्डन को जहां जरूरत रहता है वहां नहीं डालते है, जिससे पूरे गांव वालों को परेशानी होती है।
- प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- खनन के दौरान उत्पन्न होने वाले ऊपरी मिट्टी एवं ओकर बर्डन का निस्तारण अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार ही किया जायेगा। मिट्टी या ओकर बर्डन को खदान क्षेत्र के बाहर किसी भी सार्वजनिक स्थल के इर्द गिर्द या शासकीय स्थल में डम्प नहीं किया जायेगा। खदान का संचालन पूर्णतः कानूनी तौर पर एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार किया जायेगा।
- स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार खदान में रोजगार दिया जाएगा।

19. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 8 खदानें आती है। जिसमें से 7 खदानों को पूर्व में ही पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त है।

अतः क्लस्टर में शामिल आवेदित खदान द्वारा इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुँच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 580 मीटर		72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
क्लस्टर मार्ग में (386 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,14,000	71,000	71,000	71,000	71,000
	फेंसिंग हेतु राशि					
	खाद हेतु राशि					
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि					
इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग		27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संभारण हेतु		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
हेल्थ चेकअप केम्य		13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
कुल राशि = 12,08,000		2,76,000	2,33,000	2,33,000	2,33,000	2,33,000

20. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिती के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
71.12	2%	1.43	Following activities at nearby Village - Baghima	
			Plantation at Village Pond	1.509
			Total	1.509

21. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम, कटहल एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 35 नग पीधों के लिए राशि 3,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 15,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,750 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 15,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,750 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,15,200 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा

ग्राम पंचायत बधिमा के सहमति उपरान्त यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 25 एवं 26, क्षेत्रफल 0.591 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

22. कार्यालय सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उपखंड बलरामपुर के ज्ञापन दिनांक 27/04/2022 अनुसार "ग्राम बधिमा के खसरा क्रमांक 849/12, 54, 43, 33, 39, 34, 35, 48, 41 एवं 32 क्षेत्र में खुदाई के दौरान 45 मीटर से अधिक गहराई में पानी उपलब्ध होता है" का उल्लेख है।
23. लीज क्षेत्र में 1 गद्दा विद्यमान है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 02/10/2017 द्वारा निर्णय लिया गया कि खसरा क्रमांक 849/30 में पूर्व से संचालित खदान का गद्दा है, जिससे लगी घासीनों की भूमि खसरा क्रमांक 849/13, 849/33 एवं 849/43 को मिट्टी एवं पत्थर निकालकर गहरीकरण किया गया ताकि गद्दे में पानी भरकर कृषि कार्य में पानी का उपयोग किया जा सके।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित भूमि में ग्रामवासियों के द्वारा किये जा रहे अवैध उत्खनन की जानकारी देते हुए दिनांक 06/03/2020 तथा दिनांक 05/04/2021 को खनिज अधिकारी, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज को पत्र लेख कर अवैध उत्खनन पर रोक लगाये जाने हेतु निवेदन किया गया। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/10/2017 को आवेदित स्थल में अवैध उत्खनन किये जाने के कारण खनिज अधिकारी, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के द्वारा जांच के आधार पर 1,22,364 रुपये का अर्धदण्ड लगाया गया है।

24. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. कंट्रोल स्टारिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. स्टारिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. पयूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
34. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये जो भी आपत्ति, सुझाव या मुद्दे उठाये गये हैं, उसके संबंध में प्रस्तुत किये गये जवाब एवं जानकारियों के अनुसार निराकरण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
36. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
37. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के नाईडलाईस के अनुसार क्लस्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा एक पर्यावरण समिति का गठन किया जाएगा, जिस पर एक पर्यावरणविध की नियुक्ति किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
38. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
39. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एडिक्शन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के द्वापन क्रमांक 933/खनिज/उत्खनि./2020 बलरामपुर, दिनांक 27/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 6.672 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बघिमा) का क्षेत्रफल 2.196 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बघिमा) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 8.868 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेपटी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स बघिमा लाईम स्टोन माईन (प्रो.- श्री अभिषेक गोयल) को ग्राम-बघिमा, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के खसरा क्रमांक 849/12, 849/54, 849/43, 849/33, 849/39, 849/34, 849/35, 849/48, 849/41 एवं 849/32 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 2.196 हेक्टेयर, क्षमता-64,837 टन (25,935 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स सरस्वती स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री जयंती लाल पटेल), ग्राम-धनसुली, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2280)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/413673/2023, दिनांक 07/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 16/01/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 06/03/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित घुना पत्थर (गीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-धनसुली, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 872, कुल क्षेत्रफल-1.76 हेक्टेयर (4.35 एकड़) में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-69,691.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 460वीं बैठक दिनांक 27/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जयंती लाल पटेल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्व में घुना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 872, कुल क्षेत्रफल-4.35 एकड़, क्षमता-69,690 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-रायपुर द्वारा दिनांक 16/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 16/01/2023 तक वैध थी।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 16/01/2024 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 259/ख.लि./2023 रायपुर, दिनांक 14/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017-18	15,870
2018-19	31,392
2019-20	9,174
2020-21	15,826
2021-22	8,000
01/04/2022 से 30/09/2022	5,287

समिति का मत है कि दिनांक 01/10/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धनसुली का दिनांक 17/03/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान विथ क्वारी ब्लोजर प्लान एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन-6/उ.प./2013/2663 रायपुर, दिनांक 23/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 260/ख.लि./2023 रायपुर, दिनांक

14/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 180.75 हेक्टेयर है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के जापन क्रमांक 260/ख.लि./2023 रायपुर, दिनांक 14/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण - भूमि आवेदक के नाम पर है। लीज मेसर्स सरस्वती स्टोन स्क्वारी, प्रोपराईटर श्री जयंती लाल पटेल के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/01/2013 से 16/01/2023 तक वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/01/2023 से 16/01/2033 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-धनसुली 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-धनसुली 1 कि.मी. दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 900 मीटर एवं राज्यमार्ग 2 कि.मी. दूर है। खारून नदी 18 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व 12,76,000 टन, नाईनेबल रिजर्व 6,96,915 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 6,27,223 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,287.5 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 29 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	69,691.5	षष्ठम	69,691.5
द्वितीय	69,691.5	सप्तम	69,691.5
तृतीय	69,691.5	अष्टम	69,691.5
चतुर्थ	69,691.5	नवम	69,691.5
पंचम	69,691.5	दशम	69,691.5

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति स्रोत एवं सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 550 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुछ भाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनित किया गया है। समिति का मत है कि प्रतिबंधित लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में किये गये उत्खनन का उल्लेख क्वारी प्लान में करते हुए संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध जांच उपरांत नियमानुसार कानूनी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल सेंय, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 196 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ड्राफ्ट क्रमांक 260/ख. लि./2023 रायपुर, दिनांक 14/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 180.75 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-धनसुली) का रकबा 1.76 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-धनसुली) को मिलाकर कुल रकबा 182.51 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5

हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपकारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट इलीयरेंस अप्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई—
 - i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C, Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
 - iv. Project proponent shall submit the plantation details of previous environmental clearance with geotag photographs and videography & incorporate in the EIA report.
 - v. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - vi. Project proponent shall submit production detail from 01/10/2022 to till date from the mining department.
 - vii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

- viii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- ix. Project proponent shall submit the NOC from (DFO) forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
- x. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
- xi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- xiii. Project proponent shall submit detail of pond and nearby water bodies distance from mine lease area & an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- xiv. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xviii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area, incorporate the mined out reserve in the quarry plan accordingly and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xix. Project proponent shall undertake plantation of 550 plants during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xx. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details along with photographs in the EIA report.
- xxi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The



plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

- xxii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-3: एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ से प्रेषित किये गये आवेदनों पर विचार कर निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स ईटवा ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी (प्रो.- श्री शोभाराम रात्रे), ग्राम-ईटवा, तहसील-नस्तुरी, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2310)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 418380/2023, दिनांक 15/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गोण खनिज) खदान एवं कच्चे ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-ईटवा, तहसील-नस्तुरी, जिला-बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 21/1, 21/2, 22/2, 22/5 एवं 22/6, कुल क्षेत्रफल-1.697 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शोभाराम रात्रे, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत ईटवा का दिनांक 19/12/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी वलीजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2675/खनि/मिट्टी उ.यो./2022 बिलासपुर, दिनांक 11/01/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2945/ख.लि./न.क्र./2023 बिलासपुर, दिनांक 07/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2945/ख.लि./न.क्र./2023 बिलासपुर, दिनांक 07/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाय परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भू-स्वामित्व – भूमि खसरा क्रमांक 21/1 श्री शोभितराम, श्री लेभितराम, रजनी, रंजन एवं श्रीमती अमृताबाई, खसरा क्रमांक 21/2 श्री शोभाराम रात्रे, खसरा क्रमांक 22/2 श्री जगन्नाथिया, खसरा क्रमांक 22/5 श्री शातिकिरण तथा खसरा क्रमांक 22/6 श्री रामधारे के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण – एल.ओ.आई. श्री शोभाराम रात्रे के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्र./945/गौण खनिज/न.क्र. 09/2022 बिलासपुर, दिनांक 23/06/2022 द्वारा जारी की गई, जो एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/तक./1757 बिलासपुर, दिनांक 15/03/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 12.178 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-ईटवा 270 मीटर, स्कूल ग्राम-ईटवा 400 मीटर एवं अस्पताल बिलासपुर 16.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 32.20 कि.मी. दूर है। अरपा नदी 220 मीटर, तालाब 430 मीटर नहर 1.7 कि.मी. एवं नाला 1 कि.मी. दूर है। पक्की सड़क 100 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 29,940 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 27,945 घनमीटर एवं रिक्करेबल रिजर्व 26,547 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 685 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बैंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर ईट निर्माण हेतु भद्दा स्थापित नहीं किया जाएगा। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत पत्ताई ऐक का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

16. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
17. पथुजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं कियो जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
23. ईट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख-रखाव के लिए टिन शेड का उपयोग किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. लीज क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का चिमनी भट्टा (फिक्स चिमनी) का निर्माण नहीं किया जावेगा या लीज क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार के भट्टे के माध्यम से पकली ईट का निर्माण नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
26. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला—बिलासपुर के जापन क्रमांक 2945/ख. लि./न.क्र./2023 बिलासपुर, दिनांक 07/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम—ईटवा) का रकबा 1.697 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक — मेसर्स ईटवा ब्रिक्स अर्धकले बघारी (प्रो.— श्री शोभाराम रात्रे) को ग्राम—ईटवा, तहसील—मस्तुरी, जिला—बिलासपुर के खसरा क्रमांक 21/1, 21/2, 22/2, 22/5 एवं 22/6 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान (बिना विमनी भट्टा के), कुल क्षेत्रफल—1.697 हेक्टेयर, क्षमता—1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि आवेदित खदान से केवल कच्चे ईट ही तैयार किये जायेंगे। इन कच्चे ईटों को उपयोग लायक परिवर्तन करने (गर्म किया जाकर पक्के ईटों का निर्माण) हेतु कहां-कहां, किन-किन भट्टों में उपयोग किया जाएगा तथा उन भट्टों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है अथवा नहीं? इस संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों को परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा कच्चे ईटों को उपयोग लायक परिवर्तन करने (गर्म किया जाकर पक्के ईटों का निर्माण) हेतु कहां-कहां, किन-किन भट्टों में उपयोग किया जाएगा तथा उन भट्टों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है अथवा नहीं? इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स मुड़पार लाईम स्टोन माईन (प्रो.— श्री कमलेश देवांगन), ग्राम—मुड़पार, तहसील—पाटन, जिला—दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1771)

ऑनलाईन आवेदन — पूर्व में प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 68874/2021, दिनांक 24/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 416380/ 2023, दिनांक 17/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गीण खनिज) खदान है। ग्राम-मुड़पार, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 31/1(पार्ट), 31/2(पार्ट), 33, 34, 60, 61, 62/1, 62/2, 63/2(पार्ट), 65/1(पार्ट), 65/2(पार्ट) एवं 65/3(पार्ट), कुल क्षेत्रफल-1.84 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-25,001.25 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' कोटेमरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कमलेश देवांगन, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एम्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री पूनम मंगलम उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुड़पार का दिनांक 23/03/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 697/खनि. अनु-01/2021 दुर्ग, दिनांक 02/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 770/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 27 खदानें, क्षेत्रफल 46.428 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (सथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सद्दश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनेरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को यहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के झापन क्रमांक 770/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - भूमि आवेदक के नाम पर है। एल.ओ. आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के झापन क्रमांक 531/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 05/07/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. झापन क्रमांक 5105/खनि 02/उ.प.-अनु.निष्ठा./न.क्र.50/2017(4) नवा रायपुर, दिनांक 30/09/2022 द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाकत पत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार "छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 28.08.2020 (प्रकाशन दिनांक 30.08.2020) के नियम 42 के उप-नियम (5) परन्तु के तहत संचालक को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं तत्पश्चात् उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयवधि प्रदान किया जाता है।" का उल्लेख है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला-दुर्ग के झापन क्रमांक/तक.अधि./2020/4937 दुर्ग, दिनांक 14/12/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 50 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-मुड़पार 320 मीटर, स्कूल ग्राम-मुड़पार 320 मीटर, अस्पताल ग्राम-सेलुद 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 20 कि.मी. एवं तालाब 510 मीटर दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व 9,20,000 टन, माईनेबल रिजर्व 3,51,683 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 3,16,497 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,392 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,151 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 14 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग

एवं कंट्रोल स्कारिस्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	25,001.25
द्वितीय	25,001.25
तृतीय	25,001.25
चतुर्थ	25,001.25
पंचम	25,001.25

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.1 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति लीज क्षेत्र के निकट स्थित मेसर्स नित्या स्टोन क्रशर के संघटित खदान सीवेज वाटर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत मेसर्स नित्या स्टोन क्रशर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि पीने योग्य पानी (1.35 घनमीटर प्रतिदिन) के संबंध में संबंधित शाखा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,348 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। कुल 1,348 नग पौधों के लिए राशि 1,02,448 रुपये, खाद के लिए राशि 10,110 रुपये, घेन लिंक कॉसिंग के लिए राशि 2,67,800 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,08,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 5,88,858 रुपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,79,008 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. गैर माईनिंग क्षेत्र – लीज क्षेत्र में 232 वर्गमीटर क्षेत्र संकीर्ण क्षेत्र होने के कारण एवं चौड़ाई कम होने के कारण 4,634 वर्गमीटर क्षेत्र को 13.5 मीटर गहराई के पश्चात् गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।
16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर नू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएन, एसओ₂, एनओ₂ का सान्द्रण लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	26.28	43.58	60
PM ₁₀	47.2	68.50	100
SO ₂	9.08	14.63	80
NO ₂	11.33	20.24	80

- iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक, मर्करी,

कैडमियम एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	49.54	61.23	75
Night L_{eq}	40.07	52.41	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- v. पी.सी.यू की गणना:- भारी वाहनों/मल्टीएक्सल हेवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 830 पी.सी.यू प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.13 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 42 पी.सी.यू की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 872 पी.सी.यू प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.14 होगी। विस्तार के उपरांत भी रौ-मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0-0.2) के भीतर है।

17. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 28 खदानें आती हैं। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
पहुँच मार्ग 10 कि.मी. के दोनों तरफ (6,667 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	5,06,692	50,616	50,616	50,616	50,616
	फेंसिंग हेतु राशि	61,33,600	-	-	-	-
	खाद हेतु राशि	50,010	5,010	5,010	5,010	5,010
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	21,60,000	21,60,000	21,60,000	21,60,000	21,60,000
कुल राशि = 1,77,12,806		88,50,302	22,15,626	22,15,626	22,15,626	22,15,626

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ 344 मीटर (229 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	17,404	1,748	1,748	1,748	1,748
	फेंसिंग हेतु राशि	2,13,200	-	-	-	-
	खाद हेतु राशि	1,710	180	180	180	180
	सिंचाई एवं रख-	74,167	74,167	74,167	74,167	74,167

रखाव हेतु राशि					
कुल राशि = 6,10,861	3,06,481	76,095	76,095	76,095	76,095

18. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्राक्कानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

19. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
56	2%	1.12	Following activities at, Village- Mahkakala	
			Pavitra Van Nirman	14.14
			Total	14.14

20. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (नीम्, आम, करंज, कदंब, जामुन, आंवला, अमलताश, बरगद, पीपल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 60 नग पीधों के लिए राशि 38,456 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,13,000 रुपये, सिंचाई व खाद के लिए राशि 3,810 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,08,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 5,63,766 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,50,760 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत महकाकला के सहमति उपरान्त यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 196, क्षेत्रफल 2.2 हेक्टर में से 0.5 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
21. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
22. स्कूल टाईमिंग के दौरान ब्लास्टिंग न किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

23. पब्लिक टिविड इस्ट एरसर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
24. लीज क्षेत्र की सीमा के 7.5 मीटर की पट्टी में निर्मित शेड को हटाकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
25. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
26. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
27. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के सम्पर्क दिये गये आशवासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत तय की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
33. सी.ई.आर. के तहत तय की गई राशि का उपयोग गांव के द्वारा दी गई भूमि में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
34. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री फिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संस्क्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
39. लोक सुनवाई दिनांक 16/09/2022 दोपहर 12:00 बजे ग्राम-पंचायत मुड़पार, ग्राम-मुड़पार, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्क्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 11/11/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।
40. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- i. हेवी ब्लैस्टिंग के दौरान पत्थर घरों व स्कूलों तक आ जाते हैं। दिन में दस बार ब्लैस्टिंग होता है, जिससे भूकंप जैसी स्थिति बनी रहती है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों तथा गांव वासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
- ii. लगातार बढ़ती खदानों से गांव का वातावरण अत्यधिक प्रदूषित होता जा रहा है। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य किया जाए। खदान से निकलने वाले धूल से किसानों की फसलों, मनुष्यों एवं जीव-जन्तुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।
- iii. रामस्त ग्राम वासियों ने खदान खोलने का विरोध किया है। हेवी ब्लैस्टिंग की वजह से जिन ग्राम वासियों के घरों में टूट-फूट हुआ है उनको निरीक्षण करके उनके नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाये।
- iv. मेरी जमीन खदान से लगी हुई है। मैं अपनी जमीन खदान वालों को बेच रहा हूँ क्योंकि खदान वाले मुझे अपनी जमीन में जाने के लिए रास्ता नहीं देते हैं।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- i. अनुभवी कंट्रैक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल ब्लैस्टिंग किया जाएगा, ब्लैस्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लैस्टिंग के पूर्व हुटर बजाकर लोगों को सूचना दी जाएगी, जिससे ग्रामीणों को कम नुकसान या परेशानी होगी।
- ii. धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए जल छिड़काव किया जाएगा। खदान के चारों ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा।
- iii. हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम सभी नियमों का सुचारु रूप से पालन करेंगे जिससे आपको परेशानी नहीं होगी।
- iv. हमने जो जमीन खरीदी है, उसमें हम फेंसिंग कराएंगे। उसके बाहरी किनारे से आप जा सकते हैं।

41. क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई तथा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला-दुर्ग द्वारा अनुमोदित किये गये लोक सुनवाई के कार्यवाही विवरण अनुसार लोग सुनवाई स्थल पर लिखित 51 एवं मौखिक 331 व्यक्तियों (02 व्यक्ति द्वारा 02 बार पुनः उद्बोधन) द्वारा 333 व्यक्तियों द्वारा आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टिका-टिप्पणिया प्राप्त हुई, जिसमें लगभग सभी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित खदान खुलने का विरोध किया गया है। समिति का मत है कि जन सुनवाई में उपस्थिति लगभग सभी व्यक्तियों द्वारा विरोध किया गया है, ऐसी स्थिति में खदान की अनुशंसा किया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित परियोजना हेतु किये गये जन सुनवाई के कार्यवाही विवरण अनुसार लोग सुनवाई स्थल पर लिखित 51 एवं मौखिक 331 व्यक्तियों (02 व्यक्ति द्वारा 02 बार पुनः उद्बोधन) द्वारा 333 व्यक्तियों द्वारा आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टिका-टिप्पणिया प्राप्त हुई, जिसमें लगभग सभी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित खदान खुलने का विरोध किया गया है, ऐसी स्थिति में खदान की अनुशंसा किया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। समिति का मत है कि इस निर्णय से क्लस्टर, जिला-दुर्ग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को अवगत कराया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि आवेदित खदान एक नवीन खदान है। लोक सुनवाई के दौरान नागरिकों द्वारा उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं तथा आपत्तियों से ज्ञात होता है कि क्लस्टर में शामिल अन्य संचालित खदानों में से किन्हीं खदानों द्वारा पर्यावरणीय नियमों का कड़ाई से पालन संभवतः नहीं किया जा रहा होगा। उक्त के संबंध में प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं तथा आपत्तियों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय एवं तकनीकी दृष्टिकोण से निराकरण किये जाने हेतु बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं?
2. आवेदित स्थल एवं क्लस्टर में शामिल अन्य खदानों का पूर्ण निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से प्राधिकरण को अवगत कराने हेतु पूर्व में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 29/03/2022 के सदस्य श्री एन.के. चंडाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई-दुर्ग को सम्मिलित करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन किया जाता है। तीन सदस्यीय उपसमिति निरीक्षण का कार्य करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं तथा आपत्तियों के संबंध में पर्यावरणीय एवं तकनीकी दृष्टिकोण से निराकरण किये जाने हेतु बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही श्री एन.के. चंद्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई-दुर्ग को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स श्री दिनेश चंद नखत (पिनकापार लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-पिनकापार, तहसील-डीण्डीलोहरा, जिला-बालोद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1463)

आवेदन - पूर्व में प्रयोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 182421/2020, दिनांक 07/11/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वैधता वृद्धि किये जाने हेतु दिनांक 23/05/2023 को अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण -

1. खदान ग्राम-पिनकापार, तहसील-डीण्डीलोहरा, जिला-बालोद स्थित खसरा क्रमांक 1104, 1108, 1109, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1120, 1128 एवं 1128 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.17 हेक्टेयर, क्षमता - 1,35,000 टन प्रतिवर्ष की है।
2. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1577, दिनांक 28/12/2020 द्वारा मेसर्स श्री दिनेश चंद नखत (पिनकापार लाईम स्टोन माईन) की ग्राम-पिनकापार, तहसील-डीण्डीलोहरा, जिला-बालोद के स्थित खसरा क्रमांक 1104, 1108, 1109, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1120, 1128 एवं 1128 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 2.17 हेक्टेयर, क्षमता - 1,35,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है-

"In the issued environment clearance the validity is marked only for two years. Now the lease has been executed for 30 years and the reserves are not yet excavated with full efficiency. Thus, we request you to consider the period of EC for 30 years from date of issue and kindly arrange to provide revised EC for further lease period. We would also like to submit that as per MOEF OM dated 13.12.2022, the validity of EC which had not expired as on date of publication of notification dated 12/04/2022, shall stand automatically extended to respective increased validity i.e. for quarry projects is 30 years.

Thus, I am herewith requesting you to kindly consider our application and arrange to issue the EC with 30 years validity or issue a letter to OMIT the first condition of the issued EC which states its validity for two years only, at earliest & oblige please."

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण:-

(अ) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के झापन क्रमांक 1577, दिनांक 28/12/2020 द्वारा मेसर्स श्री दिनेश चंद नखत (पिनकापार लाईम स्टोन माईन) की ग्राम-पिनकापार, तहसील-डीपडीलोहरा, जिला-बालोद के स्थित खसरा क्रमांक 1104, 1108, 1109, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1120, 1126 एवं 1128 में स्थित घुना परधर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 2.17 हेक्टेयर, क्षमता – 1.35,000 टन प्रतिवर्ष हेतु 2 वर्ष की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के पैरा (i) में निम्न प्रावधान है:-

"Provided that in the case of mining projects or activities, the validity shall be counted from the date of execution of the mining lease."

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के पैरा (iv) में निम्न प्रावधान है:-

"The prior Environmental Clearance granted for mining projects shall be valid for the project life as laid down in the mining plan approved and renewed by competent authority, from time to time, subject to a maximum of thirty years, whichever is earlier: Provided that the period of validity of Environmental Clearance with respect to projects or activities included in this sub-paragraph may be extended by another twenty years, beyond thirty years, subject to the condition that the adequacy of the existing environmental safeguards laid down in the existing Environmental Clearance shall be examined by concerned Expert Appraisal Committee every five years beyond thirty years, on receipt of such application in the laid down proforma from the Project Proponent within the maximum validity period of Environmental Clearance of thirty years, and subsequently on

receipt of such application in the laid down proforma from the Project Proponent within the validity period of the extended Environment Clearance, every five years for incorporating such additional environment safeguards in the Environmental Management Plan, as may be deemed necessary, till the validity of the mining lease or end of life of mine or fifty years, whichever is earlier."

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 13/12/2022 में निम्न प्राक्धान है:-

The validity of the Environmental Clearances, which had not expired, as on the date of publication of Notification i.e. 12/04/2022, shall stand automatically extended to respective increased validity as mentioned at para no. 1 column (C) above.

5. समिति द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की नस्ती का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार माईन लाईफ (Mine life) 2 वर्ष था। तदनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति 2 वर्ष हेतु जारी की गई थी। समिति का मत है कि माईन लाईफ (Mine life) में वृद्धि हुई है अथवा नहीं के संबंध में वर्तमान स्थिति अनुसार माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही यह भी मत है कि विगत वर्षों में किये गये उत्पादन आकड़ों की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. माईन लाईफ (Mine life) में वृद्धि हुई है अथवा नहीं के संबंध में वर्तमान स्थिति अनुसार माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. विगत वर्षों में किये गये उत्पादन आकड़ों की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार), कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कोरबा द्वारा प्रेषित पत्र के संबंध में निर्णय लिया जाना।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार), कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कोरबा के ज्ञापन दिनांक 28/04/2023 द्वारा "4-laning of Urga-Pathalgaon section of NH-130A from km.70+200 to km.157-745 (from Bhisma village to Taruma village) under Bharatmala Pariyojana (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) In the State of Chhattisgarh on HAM Mode- Request to issue environmental clearance of stone mines to be used for construction of project highway- Reg." के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 09/06/2023 को संपन्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा

नस्ती/दस्तावेज/पत्र का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है-

"Consequent upon signing of Concession Agreement (CA) on 20.02.2023, the Concessionaire M/s Uрга-Pathalgaon Highways Ltd has mobilized for Preconstruction Activities. Further, as per Clause-4.1.3 of the Concession Agreement, the Conditions Precedent required to be satisfied by the Concessionaire within a period of 150 days from the date of this Agreement. One of the condition precedents is to procure all the Applicable Permits specified in Part-1 of Schedule-E unconditionally or if subject to conditions, then all such conditions required to be fulfilled by the date specified therein shall have been satisfied in full and such Applicable Permits are in full force and effect.

In this regard, the Concessionaire vide letter dated 26.04.2023 has informed that, for execution of captioned project, it needs quantum of minor minerals (Stone/Boulders) for which, the Concessionaire has already applied for environmental clearances as under:

Sr. No.	Application No.	Quantity (In MT)	Area (In Ha)	Location (Village)	District
1.	SIA/CG/MIN/425021/2023 dtd. 06.04.2023	1,648,26.00	1.00	Turuma (Pathalgaon)	Jashpur
2.	SIA/CG/MIN/425025/2023 dtd. 06.04.2023	1,00,099.00	0.994	Turuma (Pathalgaon)	Jashpur
3.	SIA/CG/MIN/425029/2023 dtd. 06.04.2023	79,387.00	1.00	Turuma (Pathalgaon)	Jashpur
4.	SIA/CG/MIN/426822/2023 dtd. 21.04.2023	2,50,036.00	1.52	Semipali (Dharamjaygarh)	Raigarh
	Total	5,94,348.00	4.514		

In view of above, it is requested to kindly accord necessary Environmental Clearance for the above project on **PRIORITY BASIS**, enabling the Uрга-Pathalgaon Project activity to be carried out at required pace and to be completed in stipulated time."

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पत्र का अवलोकन किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के प्रकरणों को आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

मेसर्स जायसवाल निको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड प्रकरण को पूर्व में जारी 192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन का है? अथवा पूर्व में जारी माईनिंग क्षेत्रफल 35.74 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 55.26 हेक्टेयर की वृद्धि होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23/11/2016 के "7(ii) (a)" के तहत क्षमता विस्तार का है? इस आशय के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/03/2023 एवं स्मरण पत्र 26/05/2023 के परिपेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को मार्गदर्शन हेतु पत्र प्रेषित किया गया, परंतु जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। चूंकि प्रकरण मार्गदर्शन के परिपेक्ष्य में लंबित है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/05/2023 एवं 24/05/2023 को तथ्य प्रस्तुत किया गया है।

1. मेसर्स जायसवाल निको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-छोटेडोंगर, तहसील व जिला-नारायणपुर

ऑनसाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 281098/2022, दिनांक 01/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघालित आवरन ओर (मुख्य खनिज) खदान एवं बेनिफिसियेशन प्लांट है। खदान ग्राम-छोटेडोंगर, तहसील व जिला-नारायणपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 एवं 265, कुल क्षेत्रफल-192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर के साथ 55.26 हेक्टेयर (कुल-91 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं बेनिफिसियेशन प्लांट-1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एस.के. मोईत्रा एवं श्री एस.के. स्वामि, डीयरैक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान आवश्यक समस्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को आवश्यक समस्त जानकारी / दस्तावेज सहित तकनीकी प्रस्तुतीकरण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आवश्यक समस्त जानकारी / दस्तावेज सहित तकनीकी प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुशांत कुमार मोड़रा, असिस्टेंट डीपरेक्टर एवं पर्यावरण सहायकार के रूप में श्री हेम कुमार गुप्ता उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 02/08/2019 के माध्यम से कुल क्षेत्रफल 192.25 हेक्टेयर हेतु टी.ओ.आर. जारी की गई थी।
- ii. पूर्व में वन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 18/01/2007 को जारी स्टैज-II फॉरेस्ट क्लीयरेंस (क्षेत्रफल-35.74 हेक्टेयर) के आधार पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/82/2019-IA.II(M) दिनांक 22/03/2021 द्वारा कुल लीज क्षेत्र 192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर, आयसन और (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता-0.05 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष विद्युत बेनिफिकेशन प्लांट 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
- iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक 316/खनिज/सी.अ. /2020-21 नारायणपुर, दिनांक 05/11/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्ष 2017 से सितम्बर, 2021 तक में किये गये उत्खनन की मात्रा निरंक है।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 08/07/2022 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार कुछ शर्तों का आंशिक पालन एवं अपूर्ण पालन किया जाना पाया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को आंशिक पालन एवं अपूर्ण पालन को पूर्ण कर प्रतिवेदन दिनांक 05/08/2022 को प्रेषित किया गया है। साथ ही प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है—

- i. गारलेण्ड ड्रेन, चोक डेम्स एवं कैंच ड्रेन्स का निर्माण किया जाना बताया गया है। अतः गारलेण्ड ड्रेन चोक डेम्स एवं कैंच ड्रेन्स के संबंध में फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- ii. वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. भू-जल स्त्रोतों का संरक्षण किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
- iv. पिजोमीटर का निर्माण नहीं किया गया है।
- v. वन्य प्राणी संरक्षण योजना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् रखम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) से अनुमोदन की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- vi. परिकेसीय वायु गुणवत्ता मापन हेतु स्टेशन की स्थापना का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- vii. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से दिनांक 29/06/2022 द्वारा परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संयोजन) नियम, 2016 के तहत जारी प्राधिकार की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 27/06/2027 तक है।
- viii. जल हेतु वाटर ऑडिटिंग कराकर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- ix. रेन वाटर हार्वैस्टिंग के संबंध में रिचार्ज पौण्ड का निर्माण किया गया है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय (वन संरक्षण विभाग) द्वारा पत्र दिनांक 01/02/2022 के माध्यम से मेसर्स जायसवाल निको इम्पडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-छोटेडोंगर, तहसील व जिला-नारायणपुर को स्टेज-II फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Forest clearance stage-II for 55.28 Ha), अतिरिक्त क्षेत्रफल-55.28 हेक्टेयर हेतु जारी की गई है।
4. जल एवं वायु सम्मति –
- i. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5573/TS/CECB/2021 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 02/11/2021 द्वारा आयरन और (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता- 0.05 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष के लिए जल एवं वायु संयोजन सम्मति जारी की गई, जिसकी सम्मति 1 वर्ष (From the first date of month of commissioning of the mining) तक की अवधि हेतु है।
- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से पूर्व में जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. उत्खनन योजना – भारत सरकार, खान मंत्रालय, भारतीय खान भूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय के ज्ञापन सं. नारायणपुर/सीह/खसो-1329/2022-रायपुर/100, दिनांक 27/05/2022 द्वारा (प्रमाण और हाईड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत निचम 2016 के नियम 17(3) एवं खनिज संरक्षण एवं विकास विधेयक, 2017 के नियम 23 के अंतर्गत प्रस्तुत निकट ग्राम-छोटेडोंगर, तहसील-नारायणपुर, जिला-नारायणपुर में स्थित छोटेडोंगर सीह अचरक खान क्षेत्रफल-192.25 हेक्टेयर कि खनन योजना का उपांतरण सह उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना की प्रति प्रस्तुत की गई है।
6. लीज का विवरण – लीज मेसर्स जायसवाल निको लिमिटेड के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 21/06/2005 से 20/06/2035 तक की अवधि हेतु वैध है।
7. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

LAND USE PATTERN				
Operational & post operational Land use as per the Modified mine plan				
Land Use	Total Area (Ha.)			
	Area Proposed (Original)	Actual Area Utilized	End of first five year as per current mine plan (2021-2025)	At the end of lease period
Area Under Pits	15.58	2.41	20.00	133.00
Area Under Utility Service, (road+infrastructure)	4.24	7.21	17.48	21.99

Area Under Mineral Storage	0.50	0.40	5.00	0.00
Area Under Over Burden/Waste Dump	0.50	0.32	1.38	5.00
Area Under Plantation	0.00	0.00	0.20	32.25
Area for Garland Drain/Rain water Harvesting	0.50	0.10	0.40	0.00
Surface Water Bodies	0.00	0.00	0.00	0.00
Settlements	0.00	0.00	0.00	0.00
Top soil stacking	0.00	0.30	0.03	0.00
Beneficiation Plant & Tailing Waste Disposal	4.00	0.00	2.70	0.00
Undisturbed area after 5 years for utilization at later period	10.42	25.27	43.81	0.00
Total Project Area	35.74	35.74	91.00	192.25

8. कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/भू-प्रबंध/खनिज/331-173/1227 रायपुर, दिनांक 31/05/2022 द्वारा "Proposal involving non-forestry use of 91.00 ha. (192.250 ha) of forest land in favour of M/s Jayaswal Neco industries limited for mining of iron located in village chhote doger, district Narayanpur (Chhattisgarh)." बाबत संशोधित पत्र जारी किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-धनीरा 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 13 कि.मी. दूर है। नदीन नदी 3 कि.मी. दूर है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जिबोलॉजिकल रिजर्व 5,42,10,360 टन, माईनेबल रिजर्व 4,80,23,235 टन है। ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 38 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 732 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 9 मीटर है। खदान की संभावित आयु 16 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ऊपर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ड्रिलिंग एवं डीपहोल कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। संशोधित माईनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2022-23	19,00,476
2023-24	29,22,384
2024-25	29,49,975

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऊपरी मिट्टी के भंडारण हेतु 0.03 हेक्टेयर क्षेत्र ओवरबर्डन/वेस्ट के भंडारण हेतु 0.32 हेक्टेयर क्षेत्र एवं मिनरल्स के भंडारण हेतु 5 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाएगा, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।
12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 330 घनमीटर प्रतिदिन होती है, जिसमें से बेनीफिशियेशन प्लांट हेतु जल की मात्रा 245 घनमीटर प्रतिदिन है।
13. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (3-tier plantation) में प्रथम वर्ष में ही वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 22/03/2021 में अधिसूचित शर्त अनुसार लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दों

के आधार पर सी.ई.आर. के तहत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त के संबंध में सभिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि का आस-पास के क्षेत्रों में ईको पार्क निर्माण हेतु ग्राम पंचायत से वृक्षारोपण किये जाने बाबत सहमति उपरांत (खसरा एवं रकबा सहित) वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पीछों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि:-

i. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 02/06/2019 के माध्यम से कुल क्षेत्रफल 192.25 हेक्टेयर हेतु टी.ओ.आर. जारी की गई थी।

तदोपरांत वन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 18/01/2007 को जारी स्टेज-II फॉरेस्ट क्लियरेंस (क्षेत्रफल-35.74 हेक्टेयर) के आधार पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/62/2019-IA.IIM) दिनांक 22/03/2021 द्वारा कुल लीज क्षेत्र 192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर, आयरन और (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता-0.05 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष विद्युत डेनिक्रिडेशन प्लांट 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

ii. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के Specific conditions के (iv) As the Public Hearing has been carried out for the entire 192.25 Ha, PP after taking Stage-II Forest Clearance for remaining area i.e. 55.26 Ha and Stage-I Forest Clearance for balance 101.25 Ha; may again approach the Ministry for undertaking mining in the remaining area with the proper mining plan.

iii. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23/11/2016 अनुसार "7(ii). Prior Environmental Clearance (EC) process for Expansion or Modernization or Change of product mix in existing projects: (a) All applications seeking prior environmental clearance for expansion with increase in the production capacity beyond the capacity for which prior environmental clearance has been granted under this notification or with increase in either lease area or production capacity in the case of mining projects." उल्लेखित है।

उक्त अधिसूचना के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि आवेदित खदान में लीज एरिया एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित नहीं है। साथ ही पूर्व में बेसलाइन डाटा एकत्रित कर मॉनिटरिंग का कार्य कुल क्षेत्रफल 192.25 हेक्टेयर हेतु ही किया गया था। भूकंप पूर्व में स्टेज-2 फॉरेस्ट क्लियरेंस 35.74 हेक्टेयर हेतु ही जारी किया गया था, तदनुसार ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पृथक से टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित), ई.आई.ए. मॉनिटरिंग डाटा की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। उपरोक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा (यदि आवश्यक हो तो) भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन लिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

16. डॉ. बी.पी. मोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि:-

- i. पूर्व में 35.74 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक को कुल लीज क्षेत्र के अंदर अतिरिक्त 55.26 हेक्टेयर हेतु फॉरेस्ट क्लेयरेंस स्टेज-2 जारी की गई है। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल क्षेत्रफल-192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर के साथ 55.26 हेक्टेयर (कुल-91 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।
- ii. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पूर्व में स्टेज-II फॉरेस्ट क्लेयरेंस के अन्तर्गत पर क्षेत्रफल 35.74 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। वर्तमान में स्टेज-II फॉरेस्ट क्लेयरेंस प्राप्त अतिरिक्त 55.26 हेक्टेयर हेतु पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन आवेदन किया गया है। अतः यह पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त क्षेत्रफल (Increase in mine lease area) में वृद्धि होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23/11/2016 के "7(ii) (a)" के तहत क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः अध्यक्ष महोदय का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के अंतर्गत नवीन ऑनलाईन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

17. समिति के सदस्यों का निम्नानुसार अभिमत है:-

- i. श्री डी. राहुल वैकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि संबंधित प्रस्ताव संशोधन अथवा क्षमता विस्तार का माना जाना अथवा नहीं के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन लिया जाना है।
- ii. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि संबंधित प्रस्ताव संशोधन अथवा क्षमता विस्तार का माना जाना अथवा नहीं के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन लिया जाना है।
- iii. श्री एन.के. चन्दाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि आवेदित प्रकरण में क्षमता एवं माइनिंग लीज एरिया में विस्तार नहीं होने कारण डि-लिस्ट/ निरस्त करने की अनुशंसा हेतु असहमति व्यक्त की गई है।
- iv. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि आवेदित प्रकरण निम्न कारणों से क्षमता विस्तार का नहीं है:-
 - कुल माइनिंग लीज एरिया 192.25 हेक्टेयर हेतु एल.ओ.आई. जारी की गई है।
 - उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हो रही है।
 - लोक सुनवाई एवं ई.आई.ए. कुल माइनिंग लीज एरिया 192.25 हेक्टेयर हेतु कनाया गया है।
 - उक्त कारणों से यह क्षमता विस्तार का प्रकरण नहीं है, किन्तु आवेदित प्रकरण के संबंध में संशोधन अथवा क्षमता विस्तार का है अथवा नहीं? बाबत भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन लिया जा सकता है।

उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि:-

- i. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23/11/2016 के "7(ii) (a)" के तहत माईनिंग के परियोजनाओं हेतु पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से माईनिंग लीज एरिया या उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने की दशा में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
- ii. पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग लीज, माईनिंग प्लान एवं स्टेज-1 फॉरेस्ट क्लीयरेंस के आधार पर टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) क्षेत्रफल 192.25 हेक्टेयर हेतु जारी की गई थी।
- iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल क्षेत्रफल 192.25 हेक्टेयर हेतु लोक सुनवाई तथा फाईनल ई.आई.ए. तैयार कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।
- iv. स्टेज-II फॉरेस्ट क्लीयरेंस के आधार पर आवेदित प्रकरण को पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/62/2019-IA,II(M) दिनांक 22/03/2021 द्वारा कुल लीज क्षेत्र 192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर, आवरण और (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता-0.06 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष विद्युत बेनिफिकेशन प्लांट 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई। जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के Specific conditions के (iv) As the Public Hearing has been carried out for the entire 192.25 Ha, PP after taking Stage-II Forest Clearance for remaining area i.e. 55.26 Ha and Stage-I Forest Clearance for balance 101.25 Ha, may again approach the Ministry for undertaking mining in the remaining area with the proper mining plan. का उल्लेख है।
- v. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पूर्व में स्टेज-II फॉरेस्ट क्लीयरेंस के आधार पर क्षेत्रफल 35.74 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। वर्तमान में स्टेज-II फॉरेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त अतिरिक्त 55.26 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन आवेदन किया गया है।

उपरोक्त के संदर्भ में आवेदित प्रकरण पूर्व में जारी 192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन का है? अथवा पूर्व में जारी माईनिंग क्षेत्रफल 35.74 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 55.26 हेक्टेयर की वृद्धि होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23/11/2016 के "7(ii) (a)" के तहत क्षमता विस्तार का है? इस आशय के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु लेख किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छरतीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/03/2023 एवं स्मरण पत्र 26/05/2023 के परिपेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को मार्गदर्शन हेतु पत्र प्रेषित किया गया, परंतु जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। चूंकि प्रकरण मार्गदर्शन के परिपेक्ष्य में लंबित है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/05/2023 एवं 24/05/2023 को तथ्य प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

"The presentation was made before State Level Expert Appraisal Committee Chhattisgarh on 28/10/2022 and 09/02/2023 for the same and all documents and clarification sought for including the certified compliance report was submitted before the committee on the 10 of February 2023. This compliance submission was along with an Affidavit duly sworn in by the company about the submitted compliance status.

In MoM of 450th meeting dated 09/02/2023 it was opined that an opinion may be taken from MOEF New Delhi (Policy division) seeking clarification on whether the matter should be dealt under amendment or Expansion under section 7(ii)(a) of EIA Notification date 23/11/2016. Copy of the letter send to MOEF was also marked to us.

We had perused the matter with MOEF New Delhi and we had been given to understand that no such opinion can be given on any individual case as there is clarity in the EIA notification. Moreover, substantial lapse of time had happened in between but no communication could be received.

Keeping in view the time lapsed, we had made a request to the Member Secretary vide our letter dated 11/05/2023 informing that we wish to submit this proposal under section 7(ii)(a) of EIA Notification 23/11/2016.

However, while filing an application for expansion under 7(ii)(a) vide SW/129039/2023 there is only four options given in the drop box under which an application under section 7(ii)(a) can be filed, the same are reproduced as below (Only increased in production with or without increasing the pollution load):

- i. More than 40% but up to 50%
- ii. Up to 20%
- iii. Up to 40%
- iv. Without increase in production capacity but with increase in pollution load.

Our case does not fall in any of the above category and we are unable to find any other options in filing the application. There is no such provision in the simple expansion procedure also on filing any application wherein there is no increase in production or no increase in mining lease area is happening. Hence we are constrained to file application under Amendment and we seek remedy for the same by this committee.

In view of the same, and the considerable lapse of time which had already occurred, we request for considering this proposal under simple amendment in EC on the following grounds :-

- a. TOR had been granted for 192.25 hectare and the entire EIA study and the Public hearing had been conducted on the entire 192.25 hectare forest land and its 10 km radius.
- b. EIA had been prepared accordingly covering the entire 192.25 hectare mining lease area and had been presented before the EAC committee of MOEF.
- c. EC had been granted by MOEF (IA Division) vide letter dated 22/03/2021.

- d. While granting the earlier EC, it has been stated that (page 8 of 15) specific condition No IV as the public hearing has been carried out for the entire 192.25 hectare, PP after taking stage 2 forest clearance for the remaining area i.e. 55.26 hectare, may again approach the ministry for undertaking mining in the remaining area with the proper mining plan.
- e. NPV for the entire Mining lease area (192.25 Hectare) stands paid. Compensatory afforestation charges also stands paid to the forest department. All compliance had been done as per the provisions.

Since there is neither increase in the mining lease area nor there is any increase in production hence section 7(ii)(a) of EIA notification 2016 is not applicable in this case. Hence we request you to treat this as case of "Amendment in EC" and grant us the requisite amendment accordingly without further waste of time. We will remain obliged for the same."

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-छोटेडोंगर, तहसील व जिला-नालायणपुर स्थित भूमि पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 एवं 265, कुल क्षेत्रफल-192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर के साथ 55.26 हेक्टेयर (कुल-91 हेक्टेयर) में क्षमता-2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं बेनिफिसियेशन प्लान्ट-1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के साथ यह भी कि This recommendation is being made subject to final outcome of clarification letter sought from MoEF&CC vide letter no. 2669, dated 23/03/2023 पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन दिए जाने की अनुशंसा की गई (यह अनुशंसा भविष्य में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर उसी अनुसार प्रभावित होगी):-

- i. Project proponent shall carryout the EIA study in accordance to MoEF&CC circular issued from time to time & shall prepare EIA report / EMP incorporating the impact of mining on subject land and shall submit the copy of EIA / EMP within four months from the grant of amendment in environment clearance which will be further reviewed by SEAC for appraisal of the same.
- ii. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).
- iii. The Project Proponent needs to implement the recommendations of the Slope monitoring studies to be carried out by CSIR. The implementation status of the same shall be submitted to the Ministry's Integrated Regional Office (IRO) along with the six monthly compliance report.
- iv. The Project Proponent shall ensure that the low grade ore shall be effectively utilized.
- v. The Project Proponent shall continue the monitoring of ground induced blast vibrations for every blast through authorized institutes and the results are to be compared with the limiting values prescribed by Director General of Mine Safety (DGMS). PP shall ensure that the values of "peak particle velocity" and "Air Over Pressure shall be maintained below the permissible values prescribed by the DGMS, from time to time. The data needs to be maintained and submitted along with the six monthly compliance report.
- vi. The wildlife conservation plan shall be prepared in consultation with the State Forest / wildlife Department shall be implemented and compliance of the same shall be submitted to IRO of MOEF&CC for every six months.

- vii. The Project Proponent shall take all precautionary measures during project operations / plant operations for conservation & protection of endangered flora as well as endangered fauna spotted in the study area / project area. Action plan for conservation of flora & fauna shall be prepared & implemented in consultation with forest department & wildlife department. Necessary allocation of fund for implementation of the conservation plan shall be made & the fund so allocated shall be included in the project cost. A copy of action plan must be submitted to the SEIAA & SEAC office within 6 months.
- viii. The Project Proponent shall also organize employment-based apprenticeship/ internship training program every year with appropriate stipend for the youth and other programs to enhance the skill of the local people. The data should be maintained for the training imparted to the persons and the outcome of the training, for the assessment of the training program should be analyzed periodically and improved accordingly.
- ix. The Project Proponent should periodically monitor and maintain the health records of the mine workers digitally prior to mining operations, at the time of operation of mine and post mining operations. Regular surveillance shall be carried through regular occupational health check-up every year for mine workers. PP shall also organize medical camp for the benefit of the local people and also the monitor the health impacts due to mining activity.
- x. The Project Proponent shall install a minimum of 3 (three) online Ambient Air Quality Monitoring Stations with 1 (one) in upwind and 2 (two) in downwind direction based on long term climatological data about wind direction such that an angle of 120° is made between the monitoring locations to monitor critical parameters, relevant for mining operations, of air pollution viz. PM10, PM2.5, NO2, CO and SO2 etc. as per the methodology mentioned in NAAQS Notification No. B-29018/20/90/PC/II, dated 18.11.2009 covering the aspects of transportation and use of heavy machinery in the impact zone. The ambient air quality shall also be monitored at prominent places like office building, canteen etc. as per the site condition to ascertain the exposure characteristics at specific places. The above data shall be digitally displayed within 03 months in front of the main Gate of the mine site. The real time data generated from the continuous ambient air quality monitoring stations (CAAQMS) should be displayed digitally at entry and exit gate of mine lease area for public display and shall be linked to server of CPCB/SPCB.
- xi. Effective safeguard measures for prevention of dust generation and subsequent suppression (like regular water sprinkling, metalled road construction etc.) shall be carried out in areas prone to air pollution wherein high levels of PM10 and PM2.5 are evident such as haul road, loading and unloading point and transfer points. The Fugitive dust emissions from all sources shall be regularly controlled by installation of required equipments/ machineries and preventive maintenance. Use of suitable water-soluble chemical dust suppressing agents may be explored for better effectiveness of dust control system. It shall be ensured that air pollution level conform to the standards prescribed by the MOEFCC/ Central Pollution Control Board.

- xii. The Project Proponent shall undertake regular monitoring of natural water course/ water resources/ springs and perennial nallahs existing/ flowing in and around the mine lease including upstream and downstream. The parameters to be monitored shall include their water quality suitability for usage as per CPCB criteria and flow rate. It shall be ensured that no obstruction and/ or alteration be made to water bodies during mining operations without justification and prior approval of MoEFCC. The monitoring of water courses/ bodies existing in lease area shall be carried out four times in a year pre-monsoon (April-May), monsoon (August), post-monsoon (November) and winter (January) and the record of monitored data may be sent regularly to Ministry of Environment, Forest and Climate Change and its Regional Office, Central Ground Water Authority and Regional Director, Central Ground Water Board, State Pollution Control Board and Central Pollution Control Board.
- xiii. Quality of polluted water generated from mining operations which include Chemical Oxygen Demand (COD) in mines run-off; acid mine drainage and metal contamination in runoff shall be monitored along with Total Suspended Solids (TDS), Dissolved Oxygen (DO), pH and Total Suspended Solids (TSS). The monitored data shall be uploaded on the website of the company as well as displayed at the project site in public domain, on a display board, at a suitable location near the main gate of the Company. The circular No. J- 20012/1/2006-IA.II (M) dated 27.05.2009 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change may also be referred in this regard.
- xiv. Project Proponent shall plan, develop and implement rainwater harvesting measures on long term basis to augment ground water resources in the area in consultation with Central Ground Water Board/ State Groundwater Department. A report on amount of water recharged needs to be submitted to Regional Office MoEFCC annually.
- xv. The Project Proponent shall take measures for control of noise levels below 85 dBA in the work environment. The workers engaged in operations of HEMM, etc. should be provided with ear plugs /muffs. All personnel including laborers working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices along with adequate training, awareness and information on safety and health aspects. The PP shall be held responsible in case it has been found that workers/ personals/ laborers are working without personal protective equipment.
- xvi. Industrial waste water (workshop if any and waste water from the mine) should be properly collected and treated so as to conform to the notified standards prescribed from time to time. The standards shall be prescribed through Consent to Operate (CTO) issued by concerned State Pollution Control Board (SPCB). The workshop effluent shall be treated after its initial passage through Oil and grease trap.
- xvii. Catch drains, settling tanks and siltation ponds of appropriate size shall be constructed around the mine working, mineral yards and Top Soil/OB/Waste dumps to prevent run off of water and flow of sediments directly into the

water bodies (Nallah/ River/ Pond etc.). The collected water should be utilized for watering the mine area, roads, green belt development, plantation etc. The drains/ sedimentation sumps etc. shall be de-silted regularly, particularly after monsoon season, and maintained properly.

- xviii. Check dams of appropriate size, gradient and length shall be constructed around mine pit and OB dumps to prevent storm run-off and sediment flow into adjoining water bodies. A safety margin of 50% shall be kept for designing of sump structures over and above peak rainfall (based on 50 years data) and maximum discharge in the mine and its adjoining area which shall also help in providing adequate retention time period thereby allowing proper settling of sediments/ silt material. The sedimentation pits/ sumps shall be constructed at the corners of the garland drains.
- xix. The pollution due to transportation load on the environment will be effectively controlled and water sprinkling will also be done regularly. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Project should obtain Pollution Under Control (PUC) certificate for all the vehicles from authorized pollution testing centers.
- xx. The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole Green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area.
- xxi. The Project Proponent shall ensure the survival rate of 90% for planting the gap plantation and new plantation. The Project Proponent shall make the actual count on the saplings planted and its survival rate and in case of failure of achievement of 90% survival rate, action plan for achieving the target survival rate shall be submitted to the Ministry's Integrated Regional Office. Project proponent shall use saplings of 10 feet height for plantation.
- xxii. The mining lease holders shall, after ceasing mining operations, undertake regrassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. The implementation report of the above said condition shall be submitted to the Ministry's Integrated Regional Office.
- xxiii. Project proponent shall submit CER proposals of 2% of the total project cost preferably for creation of Eco Park with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years in SEIAA, Chhattisgarh.
- xxiv. Project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned Gram Panchayat.

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए तथा इसकी सूचना भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को भी प्रेषित की जावे। साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को पुनः स्मरण पत्र लेख कर अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये मार्गदर्शन बाबत अनुरोध किया जावे।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-4:

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 462वीं, 463वीं एवं 464वीं बैठक क्रमशः दिनांक 09/05/2023, 10/05/2023 एवं 11/05/2023 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन दिनांक 16/06/2023 को किया गया।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।



(कलसदियुस तिर्की)

सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़



(डॉ. बी.पी. मोन्हारे)

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स घनश्याम देवांगन (भाठागांव सौईल/ऑर्डिनरी क्ले क्वारी) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 117 एवं 120, ग्राम-भाठागांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव, कुल लीज क्षेत्र 1.032 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता (बिना विमनी भट्टा के) - 1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 1.032 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता 1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (बिना विमनी भट्टा के) से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की कैंधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड-लाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करावे जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असांतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
7. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सौकरीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

8. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
9. खनिज उत्खनन के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए।
10. कच्ची ईट निर्माण में पेट कोक/टायरो/प्लॉस्टिक/खतरनाक अपशिष्टों का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए।
11. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
12. कच्ची ईट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फलाई ऐश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईट के टुकड़ों आदि को भू-भरण एवं रोड के संधारण हेतु उपयोग किया जाए।
13. फलाई ऐश को उड़ने से बचाने के लिए समय-समय पर पानी का छिड़काव किया जावे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे की फलाई ऐश उड़कर आस-पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस-पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
14. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (क्रॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
15. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
17. मिट्टी, फलाई ऐश एवं ईट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at nearby, Village-Bhathagaon	
			Pavitra Van Nirman	2.566
			Total	2.566

19. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
20. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" (नीम, आम, जामुन, कटहल, कदम, करंज आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 30,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 20,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 94,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,62,100 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत ग्राम पंचायत भाठागांव अंतर्गत वधायोग्य स्थान खसरा क्रमांक 599, क्षेत्रफल 3.753 हेक्टेयर में से 0.25 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
21. सी.ई.आर. कार्य एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए तथा सत्यापन रिपोर्ट एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया जाए।
22. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर./ई.एम.पी. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर घाड़ी बेल्ट), होल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 150 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए तथा उसे संरक्षित किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
24. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 200 नग पौधे लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन,

सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण 3 पंक्तियों में खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा चैन लिंक तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जाएगी।

25. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफस सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।
26. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
27. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं पौधों में नम्बरिंग पश्चात् फोटोग्राफस अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
29. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
30. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं की सुरक्षा एवं संरक्षण हो। उन पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न हो।
31. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रांस्थानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
32. उत्खनन एवं कच्ची ईंट निर्माण का कार्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त के मध्य ही कराया जावे।
33. कार्य स्थल पर यदि केमिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों की सुरक्षा एवं आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
34. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
35. श्रमिकों का समय-समय पर आवूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
36. कार्य स्थल पर श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों हेतु "क्या करें" (DOES) और "क्या न करें" (DONT'S) का बोर्ड लगाया जावे तथा सुरक्षा हेतु पर्याप्त सतर्कता बरती जावे।
37. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी

निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों/विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
39. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
40. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
41. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
42. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
43. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
44. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
45. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को

पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

46. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
47. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स बघिमा लाईम स्टोन माईनिंग (प्रो.- श्री अनिशेक गोयल)

को खसरा क्रमांक 849/12, 849/54, 849/43, 849/33, 849/39, 849/34, 849/35, 849/48, 849/41 एवं 849/32, कुल लीज क्षेत्र 2.198 हेक्टेयर, ग्राम-बघिमा, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज में घूना पत्थर (गीण खनिज) उत्खनन - 64,837 टन (25,935 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2.198 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से घूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 64,837 टन (25,935 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर फसके मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की केषता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आकांक्ष एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी

व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. भू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी विगनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, नराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेंट कम सर्प्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संचारण सुनिश्चित किया जाए। विप्लेड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किराी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टैबिलाइज) करने में किया जाए।
16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।
17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / विक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिह्नित स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को

उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जायें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु गार्डन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
71.12	2%	1.43	Following activities at nearby Village - Baghima	
			Plantation at Village Pond	1.509
			Total	1.509

22. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
23. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम, कटहल एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 35 नग पौधों के लिए राशि 3,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 15,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,750 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 15,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,750 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,15,200 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बघिमा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 25 एवं 26, क्षेत्रफल 0.591 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
24. सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण

कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

25. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
26. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (घारी तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, औवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,078 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
27. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 230 पौधों का रोपण (कुल 1,308 पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
28. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफस सहित जानकारी वालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
29. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
30. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले

- श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्साकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
33. कंट्रोल स्टास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (पलाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। डेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
 34. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
 35. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
 36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
 37. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
 38. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्साकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
 39. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेस कराना आवश्यक है।
 40. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
 41. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
 42. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
 43. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
 44. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय,



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

45. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
46. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/ अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
47. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
48. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
49. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
50. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.